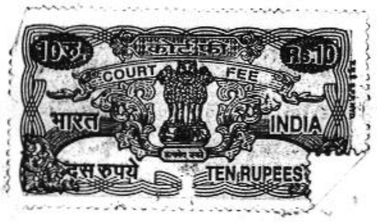

7

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण R 157-II/17

1. श्रीमती चन्द्रा बाई पत्नी अरविन्द कुमार

2. श्रीमती शांती बाई पत्नी बाबूलाल

निवासीगण ग्राम–रामपुर

तहसील–कोलारस, जिला–शिवपुरी

विरूद्व

काशीराम पुत्र मूला कोरी

निवासी–कोलारस, तहसील–कोलारस

जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी कोलारस जिला–शिवपुरी द्वारा क्रमांक एसडीओ/री/2016 में दिये गये निर्देश/आदेश दिनांक 12/07/2016 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करतं है–

<u>संक्षिप्त तथ्यः–</u>

1. यह कि, आवेदकगण ने अनावेदक से ग्राम रामपुर की भूमि सर्वे क्रमांक–706 क्षेत्रफल 1.100 हैक्टेयर भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 11/02/2009 को क्रय की थी एवं उसका आधिपत्य प्राप्त किया था विक्रय पत्र के आधार पर आवेदकगण के नामांतरण के पश्चात आवेदकगण को ऋण पुस्तिका प्रदान की गयी थी आवेदकगण की ऋण पुस्तिका का क्रमांक 513200 है ऋण पुस्तिका की प्रति संलग्न की जा रहीं है।

2. यह कि, आवेदकगण को दिनांक 14/12/2016 को आवश्यकता होने पर खसरे की प्रति सूचना केन्द्र तहसील कोलारस से प्राप्त की तब आवेदकगण को ज्ञात हुआ कि उनकी भूमि सर्वे क्रमांक 706 पर अनावेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित है एवं यह भी जानकारी हुयी की अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश/आदेश दिनांक 12/07/2016 के पालन में तहसीलदार ने खसरे के कॉलम नम्बर 12 में भूमि को विक्रय से वर्जित होने की प्रविष्टि अंकित कर दी है।

3. यह कि, उपरोक्त खसरा प्रविष्टि के आधार पर आवेदकगण ने ग्राम पटवारी से इसकी जानकारी ली एवं दिनांक 24/12/2016 को अनुविभागीय अधिकारी के विवादित आदेश/निर्देश की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त की। सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने के पश्चात आवेदकगण ने कोलारस के स्थानीय अभिभाषक श्री हरीराम जी से सम्पर्क किया अभिभाषक महोदय ने आवेदकगण को सलाह दी की तहसीलदार ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश/आदेश के पालन में प्रविष्टि की है अनुविभागीय अधिकारी ने मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–165 की उपधारा–6 के आधार पर तहसीलदार को

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :— निगरानी—157—दो/2017 जिला—शिवपुरी

श्रीमती चन्द्रा बाई व अन्य विरूद्ध काशीराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी कोलारस, जिला—शिवपुरी द्वारा क्रमांक एसडीओ/री/2016 में दिये गये निर्देश/आदेश दिनांक 12—07—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत पुनरीक्षण में सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05—09—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे.के. जैन) सदस्य	